

न्यायालय: द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: एच.के. कौशिक)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्र.-18/2018

संस्थित दिनांक 16.05.2018

मैसर्स फर्म सरकार बिल्डकॉन द्वारा आदित्य
 राना पुत्र महेन्द्रपाल सिंह राना आयु 27
 साल निवासी 124 शिवाजी नगर ग्वालियर
 म0प्र0 **पुनरीक्षणकर्ता**

वि रू द्ध

म0प्र0 राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड
 **प्रतिपुनरीक्षणकर्ता**

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव।
 प्रतिपुनरीक्षणकर्ता द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीबी.एस.बघेल ।

// आदेश //

(आज दिनांक 24.05.2018 को पारित)

- यह पुनरीक्षण याचिका धारा-399 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत न्यायालय श्री वरुण शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक/2018 मु0फौ0 उनवान मैसर्स फर्म सरकार बिल्डकॉन द्वारा आदित्यराना बनाम राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड के अपराध क्रमांक 31/18 में पारित आदेश दिनांक 08.05.18 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा आवेदक मैसर्स फर्म सरकार बिल्डकॉन द्वारा आदित्यराना का आवेदन अंतर्गत धारा-451 दं0प्र0सं0 का, जो कि उक्त अपराध में जप्तशुदा वाहन डम्फर क्रमांक यू.पी.-75/ए.टी. -2995 को सुपुर्दगी पर दिए जाने के लिए था, को निरस्त किया गया है।

2. मामले के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 08.02.2018 को पुलिस थाना मौ द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान डम्पर क्रमांक यू.पी.-75/ए.टी.2995 को चैक किये जाने पर बिना रॉयल्टी चुकाए, रेत का परिवहन कर खनिज सम्पदा रेत की चोरी होना पाये जाने से उक्त वाहन को समक्ष गवाहान जब्त कर आरोपी चालक राघवेन्द्र सिंह जादौन को गिरफ्तार किया गया। बाद थाना वापस आकर अपराध क्रमांक 31/18 अंतर्गत धारा-379 भा.द.सं. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी एवं थाना प्रभारी मौ के पत्र क्रमांक/था.प्र./मौ/131/18 दिनांक 13.02.18 द्वारा खनिज अधिकारी भिण्ड को वाहन जब्ती की सूचना दी गयी।
3. पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक द्वारा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन अंतर्गत धारा-451 दं.प्र.सं. जप्तशुदा डम्पर यू.पी.-75/ए.टी.-2995 को सुपुर्दगी में लिए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 08.05.18 को आलोच्य आदेश के माध्यम से अस्वीकार किया गया। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उक्त आदेश के माध्यम से यह मान्य किया कि उक्त वाहन के संबंध में सक्षम व्यक्ति/प्राधिकारी (खनिज अधिकारी) द्वारा न्यायालय को सूचना न दिये जाने से इस न्यायालय को वाहन अंतरिम सुपुर्दगी पर दिये जाने की अधिकारिता न होने से आवेदन निरस्त किया गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत की गई है।
4. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से पुनरीक्षण में यह आधार लिया गया है कि पुलिस थाना मौ द्वारा अवैध रूप से रेत का परिवहन करने के कारण वाहन जब्त कर अभिरक्षा में रखा गया है। वाहन मालिक द्वारा जुर्मा स्वीकार कर 42,000/-रुपये अर्थदण्ड जमा किया गया है एवं वाहन मुक्त करने का आदेश दिया गया। वाहन मुक्त न होने पर अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विधान के विपरीत आदेश पारित कर आवेदन निरस्त किया गया है। थाना मौ में उक्त वाहन रखे

रहने तथा देखरेख के अभाव में बन्द रहने से वाहन के कलपुर्जे खराब हो रहे हैं। वाहन न चलने से पुनरीक्षणकर्ता को आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। उक्त आधारों पर पुनरीक्षण स्वीकार कर आलोच्य आदेश अपास्त किया जाकर उक्त वाहन डम्पर क्रमांक यू.पी.- 75/ए.टी.-2995 को सुपुर्दगी पर दिए जाने की प्रार्थना की गई है।

5. प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी.एस. बघेल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश साक्ष्य और विधिसम्मत होना बताते हुए याचिका निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।
6. पुनरीक्षण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार हैं:-
क्या विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.18 अशुद्ध, अवैध, अनियमित एवं अनौचित्यपूर्ण होने से हस्तक्षेप किये जाने योग्य है ?

सकारण निष्कर्ष

7. उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों को स्मरण रखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख, संबंधित मामले पुलिस थाना मौ के अपराध क्रमांक 31/18 की केस डायरी तथा कैफियत का अवलोकन किया गया।
8. केस डायरी व कैफियत अनुसार नगर निरीक्षक थाना मौ द्वारा दिनांक 08.02.2018 को वाहन चैकिंग के दौरान प्रश्नगत डम्पर क्रमांक यू.पी.75 ए.टी. 2995 द्वारा बिना सैयल्टी के खनिज रेत का परिवहन किये जाने पर चालक राघवेंद्र सिंह पुत्र रामबली सिंह का कृत्य भा0दं0सं0 की धारा 379 के अंतर्गत दण्डनीय पाये जाने से वाहन जब्त कर उसके विरुद्ध उपरोक्त अपराध अंतर्गत धारा 379 भा0दं0सं0 पंजीबद्ध किया गया। थाना प्रभारी मौ द्वारा दिनांक 13.02.2018 को खनिज अधिकारी जिला भिण्ड म.प्र. को उक्त कार्यवाही से अवगत कराते हुए प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।

9. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड से खनिज अधिकारी द्वारा थाना प्रभारी पुलिस थाना मौ को पत्र कमांक 27/04/18 के माध्यम से अवगत कराया गया कि उपरोक्त डम्पर यू.पी.75 ए.टी. 2995 के स्वामी आदित्य राणा द्वारा आरोप स्वीकार करते हुए अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि 42,000/-रूपये चालान द्वारा जमा करा दी गयी है। अतः उपरोक्त वाहन को मुक्त किया जावे।
10. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध Madhya Pradesh Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation And Storage) Rules, 2006 के प्रावधान आकर्षित होना पाते हुए सक्षम व्यक्ति/प्राधिकारी (खनिज अधिकारी) द्वारा इस न्यायालय को सूचना न दिये जाने के कारण, वाहन अंतिम सुपुर्दगी पर दिये जाने की अधिकारिता न होना पाते हुए आवेदन निरस्त किया गया है।
11. प्रकरण अवलोकनीय है कि प्रश्नगत वाहन Madhya Pradesh Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation And Storage) Rules, 2006 के नियम 18 (2) के प्रावधान अनुसार उक्त नियमों में उल्लेखित प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जब्त न किया जाकर संबंधित थाना प्रभारी द्वारा निरीक्षण के दौरान जब्त किया गया है। अतः ऐसी दशा में नियम 18 उप नियम-3 के प्रावधान अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा क्षेत्राधिकार रखने वाले दण्डाधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, किन्तु थाना प्रभारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति खनिज अधिकारी को प्रतिवेदन के माध्यम से अवगत कराये जाने पर खनिज अधिकारी द्वारा वाहन के स्वामी द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि 42,000/-रूपये जमा कराये जाने के उपरान्त वाहन को मुक्त किये जाने का आदेश दिया गया है।
12. अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में संलग्न रजिस्ट्रेशन प्रमाण

पत्र के अवलोकन से उक्त वाहन मैसर्स सरकार बिल्डकॉन के नाम रजिस्टर्ड होना दर्शित होता है तथा बीमा पॉलिशी में पुनरीक्षणकर्ता आदित्य राना को प्रोप्राईटर होना दर्शाया गया है। इस प्रकार आदित्य राना उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी होना परिलक्षित होता है, जिसे अनावेदक/राज्य की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गयी है। प्रश्नगत वाहन को आरक्षी केन्द्र पर प्रकरण के निराकरण होने तक अनुपयोगी खड़े रहने से पुनरीक्षणकर्ता को आर्थिक नुकसान होने से इंकार नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत सुंदरलाल अम्बालाल देसाई विरुद्ध गुजरात राज्य (2002) 10 एस.सी.सी. 283 एवं माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत बृजेश सिंह विरुद्ध म०प्र० राज्य 2018 (1) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 39 में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में भी वाहन को अंतरिम सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

13. उपरोक्त उल्लेखित Madhya Pradesh Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation And Storage) Rules, 2006 के अंतर्गत वर्णित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जब्त न करने के उपरांत भी न्यायालय को सूचित न किये जाने से न्यायालय का क्षेत्राधिकार अपवर्जित होना मान्य किये जाने में विचारण न्यायालय द्वारा विधिक भूल की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश अपास्त करते हुए पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि यदि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य दस लाख रुपये का सुपुर्दगीनामा निम्न शर्तों के अधीन प्रस्तुत किया जावे तो वाहन अंतरिम सुपुर्दगी में उसे सौंप दिया जावे :-

1. आवेदक को वाहन को किसी भी प्रकार से अंतरिम नहीं करेगा।
2. आवेदक उक्त वाहन के स्वरूप, रंग, आकार में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं करेगा।

3. प्रश्नगत वाहन की सभी ओर के रंगीन छायाचित्र प्रस्तुत करेगा।
 4. न्यायालय द्वारा आदेश करने पर स्वयं के व्यय पर उक्त वाहन को न्यायालय में प्रस्तुत करेगा एवं न्यायालय द्वारा आदेशित किये जाने पर स्वयं न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
14. इस आदेश की प्रति के साथ बण्डल अभिलेख संबंधित न्यायालय की ओर भेजा जावे तथा आदेश की प्रति के साथ पुलिस थाना मौ की केस डायरी वापस भेजी जावे।

आदेश दिनांकित, हस्ताक्षरित
कर पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

सही /—
(एच.के. कौशिक)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड

सही /—
(एच.के. कौशिक)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)